न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः–117/2021 — दर्ज दिनांक 11.06.2021

जी सी एम एस न0 2021/339 — निर्णय दिनांक 31.01.2023

1. अनिल कुमार पुत्र मालाराम उम्र 45 वर्ष 2. रविन्द्र कुमार सैन पुत्र मातादीन सैन उम्र 37 वर्ष 3. विनोद पुत्र मालराम उम्र 54 वर्ष	समस्त जाति नाई निवासीगण दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदकगण

बनाम

1. केशरी देवी पत्नी बनवारी लाल उम्र 48 वर्ष 2. किशोरीलाल पुत्र हणमानराम उम्र 45 वर्ष 3. दिनेश कुमार पुत्र मक्खनलाल उम्र 47 वर्ष 4. पंकज पुत्र मक्खनलाल उम्र 45 वर्ष 5. प्रमोद कुमार पुत्र मालाराम उम्र 52 वर्ष	जाति माली निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी झुन्झुनूं जाति नाई निवासी दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6. कल्याण पुत्र बसन्ती पत्नी रामकुमार उम्र 57 वर्ष 7. ओमप्रकाश पुत्र बसन्ती उम्र 54 वर्ष 8. श्रवण कुमार पुत्र बसन्ती उम्र 52 वर्ष 9. कोयली देवी पत्नी राधेश्याम उम्र 50 वर्ष 10. संजय पुत्र राधेश्याम उम्र 29 वर्ष 11. मनोज पुत्र राधेश्याम उम्र 24 वर्ष 12. आशा पुत्री राधेश्याम उम्र 31 वर्ष 13. सरिता पुत्री राधेश्याम उम्र 27 वर्ष 14. कृष्णा पुत्री राधेश्याम उम्र 25 वर्ष	समस्त जाति नाई निवासीगण दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
15. महेश पुत्र भगवानाराम उम्र 57 वर्ष जाति नाई 16. मातादीन पुत्र भगवानाराम उम्र 67 वर्ष जाति नाई 17. रामकुमार पुत्र भगवानाराम उम्र 62 वर्ष जाति नाई 18. रामजीलाल पुत्र भगवानाराम उम्र 62 वर्ष जाति नाई 19. सजना देवी पत्नी मक्खनलाल उम्र 70 वर्ष जाति नाई 20. सुमेर पुत्र मालाराम उम्र 38 वर्ष जाति नाई 21. सांवरमल पुत्र ग्यारसीलाल उम्र 35 वर्ष जाति माली	निवासीगण दीपपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.

22. लैण्ड होल्डर कम उप पंजियक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 31.01.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:50:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे[illegible] इस आश्य का पेश किया है कि आवेदक ने एक उनवानी प्रकरण बिरजू बनाम नौरंग आदि [illegible]जा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहुत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को [illegible]लता मिलने की पूरी–पूरी आशा एंव विश्वास है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] अनिल बनाम [illegible] देवी आदि मुकदमा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] ग्राम दीपपुरा पटवार ह[illegible]कराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में कृषि भूमि नया खाता संख्या 12 पुराना 10 की भूमि खसरा नं. 50, 54, 55, 56, 59, 642/53 कुल किता 6 कुल रकबा 2.1900 है0 अवस्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त

भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण 1 लगायत 21 की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन आवेदकगण एवं अनावेदकगण 1 लगायत 21 के मध्य नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि में आवेदक संख्या का (1/30+1/120) 1/24 हिस्सा, आवेदक संख्या 2 का 1/15 हिस्सा, आवेदक संख्या 3 का (1/30+1/120) 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 4 का 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 5 का (1/30+1/120) 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 6 लगायत 14 का 1/30, अनावेदक संख्या 15 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक संख्या 16 का 1/8 हिस्सा, अनावेदक संख्या 17 का 7/120, अनावेदक संख्या 18 का 1/8, अनावेदक संख्या 19 का 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 20 का (1/30+1/120) 1/24 हिस्सा, अनावेदक संख्या 21 का 7/120 का अविभाजित संयुक्त हिस्सा है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्से के अनुसार ही आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 21 उक्त आराजियात को शामलाती रूप से काश्त एवं लांट बांट करते हैं। राजस्व रिकॉड्र में दर्ज हिस्से बाबत कोइ विवाद नहीं ह। अनावेदक संख्या 1 लगायत 21 चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं जो बार–बार जमीनों का विकय करते हं पूर्व में भी अनावेदक संख्या 6 कल्याण पुत्र रामकुमार आदि ने उक्त जमीन का विकय पत्र अनावेदक संख्या 17 को कर दिया था इस प्रकार उक्त अनावेदक संया 1 लगायत 21 उक्त जमीन का बार–बार विकय करने पर आमादा हो रहे हैं तथा कयकर्ता एवं अनावेदकगण उक्त जमीन पर जबरन रास्ते के पास निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं उक्त जमीन संयुक्त खातेदारी की होने के कारण से आवेदकगण का उक्त आराजियात पर प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त हैठछं अनावेदक संया 1 लगायत 21 को उत भूमि पर अकेले को निर्माण काग्र करने पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। आवेदकगण व अनावेदकगण 1 लगायत 21 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विकय कर देते हैं तथा निर्माण कार्य कर लेते हैं तो आवेदकगण के परिवार का पालन पोषण में बाधाएं उत्पन्न होंगी। आवेदकगण को सख्त हक तलफी होगीं आवेदक को होने वाली अपूर्णीय क्षति को किसी कदर पूर्ति करना सम्भव नहीं होगा। राजस्व रिकॉर्ड दर्ज बसन्ती पत्नी रामकुवार नाई का स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिवत वारिसान अनावेदक संख्या 6 लगायत 14 को पक्षकार बनाया है तथा राजस्व रिकॉड्र दर्ज बसन्ती पत्नी मालाराम का स्वर्गवास हो गया जिसके विधिक वारिसान आवेदक संख्या 1 व 3 एवं अनावेदक संख्या 5 व 20 है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदक संख्या 1 लगायत 21 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि नया खाता संख्या 12 व पुराना 10 की भूमि खसरा न. 50, 54, 55, 56, 59, 642/53 कुल रकबा 2.19 है0 भूमि को किसी प्रकार का बेचान, स्थानान्तरण व निर्माण कार्य नहीं करें ऐसा कृत्य ना तो वे स्वयं करें, ना ही नौकर चाकर ऐजेन्ट से करावे तथा आवेदकगण को अपने हक व हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने दे। तादौराने वाद मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 बावजूद तामिल हाजीर नही अत इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 21 की सयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा बिना विधिवत विभाजन के ही` अनावेदकगण बेचान करने पर आमादा है तथा कयकर्ता एवं अनावेदकगण उक्त जमीन पर जबरन रास्ते के पास निर्माण कार्य करने पर आमादा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस [illegible] किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के स[illegible] तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि [illegible] मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदिकागण [illegible] अस्थाई निषे[illegible] से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:50:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदिकागण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम दीपपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न0 50, 54, 55, 56, 59, 642/53 कुल किता 6 कुल रकबा 2.1900 है0 में आवेदकगण के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

31/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक को 31.01..2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:50:00 IST
Reason: SelfAttested